न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—356 / 2014 / 75 (2014 / 00155)

1. रतन पुत्र रामकुमार, जाति जाट, निवासी पाण्डोलाई, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 3.3.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 67 / 2014 .

उपस्थितः—

1. श्री लोकेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 .

निर्णय

दिनांकः—20.09.2018

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 3.3.2014 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुढाकला, तहसील भिनाय में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 704 रकबा 10 बीघा भूमि जिसके हाल खसरा नंबर 256 रकबा 2.08 है0 कायम हुए है, उक्त भूमि अपीलांट को दिनांक 24.5.1976 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत् रूप से आवंटन की गई थी तथा आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा अपीलांट को उसी दिनांक को सुपुर्द कर दिया गया था तब से आज तक आवंटित भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी प्रकार की जांच किये एवं बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये आराजी खसरा नंबर 256 रकबा 2.08 है0 भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया । आगे चलकर उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष खसरा नंबर 256 रकबा 2.08 है0 में से 032 है0 भूमि को श्मशान प्रयोजनार्थ आरक्षण हेतु ग्राम पंचायत की सहमति के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किये । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 3.3.2014 द्वारा अपीलांट की आवंटित भूमि

खसरा नंबर 256 रकबा 2.08 है0 में से 1.76 है0 भूमि सिवायचक से चारागाह हेतु एवं 0.32 है0 भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट को आवंटित होकर अपीलांट काबिज काश्त है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.3.2014 के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलांट को आंवटित भूमि है जिसे श्मशान हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया था जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी थी । हाल ही में ग्रामवासियान द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश का हवाला देते हुए विवादित भूमि खाली किये जाने हेतु कहा जाने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश की जानकारी कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब के कारण सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम गुढाकला, तहसील भिनाय में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 704 रकबा 10 बीघा भूमि जिसके हाल खसरा नंबर 256 रकबा 2.08 है0 कायम हुए है, उक्त भूमि अपीलांट को दिनांक 24.5.1976 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत् रूप से आवंटन की गई थी तथा आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा अपीलांट को उसी दिनांक को सुपुर्द कर दिया गया था तब से आज तक आवंटित भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी प्रकार की जांच किये एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर ने भी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमि पूर्ण जांच नहीं की जबकि विवादित भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि है जिस पर आवंटन दिनांक से आज दिवस तक अपीलांट काबिज काश्त चल आ रहा है । विवादित भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के संबंध में अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर रखी है जो विचाराधीन है । विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन आज दिवस तक यथावत है । अपीलांट का आवंटन यथावत् होने से आवंटित भूमि सेट–अपार्ट नहीं की जा सकती थी इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर ने विवादित भूमि के संबंध में बिना कोई जांच किये तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना

अपीलाधीन आदेश से विवादित भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट सेवकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 3.3.2014 निरस्त किया जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी जिसे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 3.3.2014 से श्मशान एवं चारागाह हेतु आरक्षित किया है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट ने सन् 1976 में विवादित भूमि आवंटित होने का कथन किया है किन्तु उक्त आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने पर अपीलांट द्वारा अब कार्यवाही क्यों नहीं की गई इस संबंध में अपीलांट ने कोई कथन नहीं किया है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । रेस्पो0 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 256 रकबा 2.08 है0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.5.1976 को आवंटन होने तथा कब्जा सुपुर्द किये जाने का कथन किया है । अपीलांट ने आवंटन आदेश की फोटो प्रति अवश्य पेश की जो अप्रमाणित होने से भारतीय साक्ष्य अधि0 के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी जा सकती है । अपीलांट ने अपने कथनों में विवादित भूमि का कब्जा सुपुर्द किये जाने तथा आवंटन दिनांक से आज दिवस तक आवंटित भूमि पर कब्जा होने का कथन किया है किन्तु कब्जा सुपुर्द किये जाने तथा विवादित भूमि पर कब्जा काश्त के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह साबित हो कि आवंटन के पश्चात् अपीलांट को विवादित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया था तथा आवंटन दिनांक से आजदिवस तक आवंटित भूमि पर अपीलांट का निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा हो । अपीलांट ने सन् 1976 में विवादित भूमि आवंटित होने का कथन किया है किन्तु उक्त आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने पर अपीलांट द्वारा अब कार्यवाही क्यों नहीं की गई इस संबंध में अपीलांट ने कोई कथन नहीं किया है । यदि आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होता तो आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने की जानकारी होती तथा अपीलांट इस संबंध में कार्यवाही अवश्य करता किन्तु अपीलांट ने इस संबंध में कोई दस्तोजी साक्ष्य पेश नहीं की है । अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन मात्र कागजी प्रकट होता है । अपीलांट दस्तोवजी साक्ष्यों से आवंटन उपरांत कब्जा सुपुर्द किया जाना तथा आवंटन शर्तो की पालना पूर्ण करना साबित करने में असमर्थ रहा है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि श्मशान एवं चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने की दिनांक को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी जिसे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विधिसम्मत् रूप से आरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रकट नहीं होते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 साबित करने में असफल रहने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अस्वीकार किया जाता है ।

10. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अस्वीकार होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 3.3.2014 यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर